उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ,
पत्रांकः /व0नि0स0–स0/चि0स्वा0प0क0वि0/2024
देहरादूनः दिनांक– 2024

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

विषयः– जल जनित संक्रामक रोगो के रोकथाम विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसे कि आप विदित है, कि ग्रीष्म काल के दौरान जल जनित रोग जैसे Diarrhoea, Dysentery, Cholera, Viral Hepatitis, Typhoid इत्यादि के प्रसारण होने का खतरा बढ जाता है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आगामी माहो में जल जनित रोग के प्रसारण के दृष्टिगत उक्त जल जनित रोगो के रोकथाम एवं नियत्रण हेतु निम्न कार्यवाहियां करना सुनिश्चित करे –

1. क्षेत्रं में जल जनित रोग की Clustring of Cases पाये जाने पर जनपद स्तरीय रैपिड रिसपॉन्स टीम (Rapid Response team) (एपिडिमियोलॉजिस्ट, चिकित्सक फिजिशियन/पीडियाट्रिसियन एवं माइक्रोबाइलॅजिस्ट/पैथोलोजिस्ट) टीम द्वारा त्वरित उपचार, नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु त्वरित कार्यवाही की जाए।
2. समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सा इकाइयों द्वारा जल जनित रोगों के रोगियों की सूचना अनिवार्य रूप से idsp-ihip पोर्टल पर दैनिक रूप से प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित की जाए।
3. जनपद स्तर पर गठित रैपिड रिस्पांस टीम को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया जाए। जल जनित रोगों से संबंधित किसी भी प्रकार की क्लस्टरिंग रिपोर्ट होने की दशा में रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा त्वरित रूप से निरोधात्मक कार्रवाई की जाए।
4. समस्त चिकित्सा ईकाईयों में समुचित मात्रा में ओ0आर0एस0, आई0वी0फ्लूयूड्स, एन्टीबायोटिक्स, व अन्य औषाधियॉ एवं जल की गुणवत्ता की जॉच एवं विशंक्रमण हेतुं जनपद स्तर पर ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टैबलेट्स, ओ0टी0 सोल्यूशन एवं एच0 2 एस0 (H_2S) स्ट्रिप्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
5. जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम स्तर में पेय जल की गुणवत्ता जाँच एवं विसंक्रमण हेतु जल संस्थान विभाग से समन्वय बनाते हुए कार्यवाही की जाए।
6. स्वास्थ्य जनपद, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से आम जनमानस में जल जनित रोगों से बचाव एवं रोकथाम संबंधित जन जागरूकता कार्रवाई (IEC) की जाए एवं हेंड बिल, पोस्टर एवं सामूहिक गोष्ठियों के माध्यम से जनमानस को निम्न स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें:–

- पानी उबाल कर पियें एवं ढक कर रखे।
- जल को साफ बर्तनो अवं उचित तरीके से भरें और दूषित जल का उपयोग न करें।
- ताजे खाद्य पदार्थों का सेवन करें एवं खाद्य पदार्थों को ढक कर रखें।
- शौच के पश्चात, भोजन करने व बनाने एवं खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोवें।
- शौचालयो का प्रयोग करें एवं शौचालयो को साफ रखें।
- नहाने के लिए केवल स्वच्छ जल का उपयोग करें।

Scanned with CamScanner

7. नगर निगम नगर ,पालिका, पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास समिति इत्यादि से समन्वय बनाते हुए स्वच्छता एवं साफ सफाई, जन जागरूकता इत्यादि की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(डा0 आर0राजेश कुमार)
सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

पत्र संख्याः– तद दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु प्रेशित –

1. अपर सचिव (चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) उत्तराखंड शासन देहरादून।
2. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
5. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0 एन0एच0एम0 उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अनुभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

Scanned with CamScanner